पटना, मंगलवार
3 जून, 2025
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 20

दैनिक जागरण

www.Jagran.com

यूक्रेन पर रूस के परमाणु हमले का खतरा 3
विश्व चैंपियन गुकेश ने पहली बार क्लासिकल बाजी में कार्लसन को हराया 12

रेरा नियमों का उल्लंघन करने वाले 21 भूमि विक्रेताओं पर कार्रवाई की तैयारी

- जांच आयुक्त, रेरा एवं डीएम सारण की संयुक्त समीक्षा बैठक
- रेरा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन में दंडात्मक कार्रवाई

रेरा के अधिकारियों के साथ बैठक करते जिलाधिकारी • जागरण

जासं, छपरा: जिले में रेरा अधिनियम के उल्लंघन को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जांच आयुक्त, रेरा, बिहार एवं जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में रेरा से जुड़े मामलों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में जांच आयुक्त ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी क्षेत्र में 500 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर कोई व्यक्ति या भवन निर्माण कंपनी भूखंडों की बिक्री करता है अथवा किसी एक बड़े भूखंड को विभाजित कर आठ से अधिक छोटे भूखंड बनाकर बेचता है या इसके अलावा किसी बहुमंजिला भवन में आठ से अधिक फ्लैट बनाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में रेरा (वास्तविक संपत्ति विनियमन एवं विकास अधिनियम) के तहत पूर्व निबंधन अनिवार्य है। यदि निबंधन कराए बिना कोई भूखंड या फ्लैट बेचा जाता है, तो इसे रेरा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति या भवन निर्माण कंपनी निबंधन से पूर्व भूखंड अथवा फ्लैट की बिक्री के लिए किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार, सूचना प्रकाशन, समाचार पत्रों में विज्ञापन, पर्चा वितरण अथवा सामाजिक मंचों पर प्रचार नहीं कर सकती।

यदि कोई भवन निर्माण कंपनी दावा करती है कि वह रेरा अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही निबंधित है, तो उसे अपने स्थल पर 5 फीट × 4 फीट का एक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें रेरा निबंधन संख्या एवं त्वरित प्रतिक्रिया संकेत (क्यूआर संकेत) अंकित होना चाहिए। इस क्यूआर संकेत को सामान्य लोग अपने दूरदर्शन यंत्र (मोबाइल) से देखकर उस परियोजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ मामलों में व्यक्ति ने एजेंट के नाम से रेरा में निबंधन करा कर उस पंजीकरण का दुरुपयोग कर आम नागरिकों को भ्रमित कर भूमि बिक्री की जा रही है। आम नागरिकों से आग्रह किया गया कि यदि रेरा निबंधन संख्या "ए" (A) से शुरू होती है, तो वह एजेंट के लिए है और यदि "पी" (P) से शुरू होती है, तो वह परियोजना के लिए है। अतः भूमि खरीदते समय यह अंतर अवश्य जांच लें।

चार प्रखंडों में निरीक्षण, 21 कंपनियां बिना निबंधन के बेच रही भूमि

31 मई को जिला प्रशासन एवं रेरा की तीन संयुक्त टीमों ने छपरा सदर, सोनपुर, दिघवारा एवं दरियापुर प्रखंडों में विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुल 21 भवन निर्माण कंपनियां बिना रेरा निबंधन के भूखंडों की बिक्री कर रही है, जो कि सीधे-सीधे अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील किया है कि इन कंपनियों से किसी प्रकार की भूमि अथवा फ्लैट की खरीदारी न करें। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और आमजन की सुरक्षा के लिए आगे भी सघन निरीक्षण अभियान जारी रहेगा।